रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)
(Formerly, University of Jabalpur)
(NAAC Accredited 'A' University)

क्रमांक / सामान्य / 2026 / ..896 जबलपुर, 30/04/2026

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा 46 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के परिनियम कमांक 15 (समन्वय समिति की बैठक दिनांक 25/10/2017 के विषय क्र.01) में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पंजीयन किये जाने संबंधी प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय में रजिस्टीकृत स्नातक के पंजीयन के लिये नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

1. निम्नलिखित व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र Appendix-A में आवेदन शुल्क रूपये 500/– विश्वविद्यालय के अधिकृत इंडियन बैंक में कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के सामान्य खाता क्रमांकः– 20733144327 IFSC Code- IDIB000R502 में ऑन लाईन माध्यम से राशि जमा कर, विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक प्रकोष्ठ (कक्ष क्र.14) में जमा करने पर रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर में अपने नाम अंकित कराने के हकदार होगें :–
   (क) विश्वविद्यालय का कोई स्नातक।
   (ख) भारत में विधि द्वारा नियमित किसी अन्य विश्वविद्यालय का कोई स्नातक जिसे स्नातक हुए कम से कम तीन वर्ष हो गये हों और जो विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर निवास कर रहा हो,

परन्तु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2 के अधीन निरसित की गई अधिनियमितियों के अधीन एक से अधिक विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया कोई स्नातक, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन नियत की गई तारीख से छः मास की कालावधि के भीतर, उन विश्वविद्यालय में से, जिनके कि संबंध में वह ऊपर के खंड (क) या (ख) में अधिकथित शर्त पूरी करता हो, विश्वविद्यालय के कुलसचिव के समक्ष इस बावत घोषणा आवेदन पत्र के साथ करनी होगी ताकि वह विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक होने के लिये अपने विकल्प का प्रयोग कर सकेगा और उसके द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर वह उन समस्त अन्य विश्वविद्यालयों का, जिनका कि वह पूर्ववर्णित तारीख के पूर्व रजिस्ट्रीकृत स्नातक था, रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं रह जायेगाः

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु यदि कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत स्नातक पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहे, तो वह धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन नियत की गई तारीख से छः मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर उन समस्त विश्वविद्यालयों का, जिनका कि वह ऐसी तारीख के पूर्व रजिस्ट्रीकृत स्नातक था, रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं रह जायेगा।

स्नातक के पंजीयन कराने के लिए निर्धारित संलग्न प्रपत्र Appendix-A में आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय के परिनियम कमांक 15 की धारा 4 के अनुसार जो कि निम्नानुसार उद्वत है, के अनुसार कार्यवाही करनी होगी :-

2. For the purpose of enrolment in the Register of Registered Graduates :

(a) The period of three years standing shall be reckoned from the date on which the applicant's degree was signed by the Kulpati or other competent authority of the University.

(b) The following evidence shall be produced by the applicant in support of graduation :

(i) His degree or a copy there of duly attested by a Gazetted Officer or a Professor or a Principal of a College, or
(ii) A certificate from the Registrar of the University conferming the degree to the effect that he has been admitted to the degree, or
(iii) The calendar or other authorised publication of the University
(iv) Any other evidence to the satisfaction of the Registrar.

(c) The following evidence shall be produced in support of residence; viz

(1) A certificate from :
(i) A statutory Officer of the University.
(ii) A Principal of a College in the University.
(iii) A Professor, College Professor or Reader of the University.
(iv) A Magistrate.
(v) A Gazetted Officer of the State of Madhya Pradesh or the Central Government.

or

(2) Such other evidence of residence as may be accepted as satisfactory by the Registrar in this behalf.

3. पंजीकरण के लिए विहित प्रपत्र Appendix-A & Appendix-B विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.rdunijbpin.org से डाउनलोड किये जा सकते है। शेष अन्य सभी शर्ते परिनियम कमांक 15 के अनुसार होगी तथा इसी परिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत ही स्नातकों के पंजीयन संबंधी समस्त कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

4. स्नातक की पंजी में केवल उन्ही आवेदनकर्ता, जिनके द्वारा वैद्यानिक रूप से अर्हता रखते हो तथा जिनके द्वारा पंजीयन शुल्क जमा करा दी गई हो, उनके नाम ही प्रविष्ट किये जावेंगे।

5. स्नातक की पंजीयन की अवधि तीन वर्ष की होगी।
6. स्नातकों के पंजीयन हेतु आवेदन आमंत्रित करने की तिथि दिनांक 01/05/2026 से 31/07/2026 तक निर्धारित की जाती है।

नोटः— पंजीकृत स्नातकों के पंजीकरण की कार्यवाही उपरान्त परिनियम 23 में निहित प्रावधान के अनुपालन में आवश्यक होने पर निर्वाचन की प्रक्रिया की जायेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर।

पृ0क0/सामान्य/2026/896 जबलपुर,दिनांक 30/04/2026

प्रतिलिपिः—
1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल—462052
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल—462004।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. संयोजक, पंजीकृत स्नातक प्रकोष्ठ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, निर्देशक/संयोजक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
8. समस्त प्राचार्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों।
9. समस्त अधिकारीगण, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
10. कुलगुरू जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की और सूचनार्थ।
11. मीडिया प्रभारी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की और सूचनार्थ।
12. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर इस निवेदन के साथ कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (सामान्य)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर।

Scanned with OKEN Scanner